न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 148 / 2016

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 बाबूलाल पुत्र कानाराम आयु 58 साल जाति कुमावत निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 त्रिवेणी देवी पत्नी स्व0 रूपाराम।
2 संतोष पुत्री स्व0 रूपाराम।
3 सुरेश कुमार पुत्र श्योप्रसाद।
4 शारदा देवी पत्नी श्योप्रसाद।
5 माया पुत्री श्योप्रसाद।
6 महेश कुमार पुत्र लिछमण।
7 लालचन्द पुत्र लिछमण।
8 सोहनी पुत्री लिछमण।
9 सलोचना पुत्री लिछमण।
10 कांता पुत्री लिछमण।
11 ग्यारसी देवी पत्नी लिछमण।
12 शिवलाल दतक पुत्र नारायण।
13 चन्द्रशेखर पुत्र छोटूराम
14 मंगलचन्द पुत्र छोटूराम।
15 महादेव प्रसाद पुत्र छोटूराम।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

16 भगवान सहाय पुत्र भींवा।
17 भोलू पुत्र भींवा।
18 सीताराम पुत्र भींवा।
19 मंवरलाल पुत्र हणमान।
20 प्रदीप कुमार पुत्र हणमान।
21 रमेश कुमार पुत्र हणमान।
22 पवन कुमार पुत्र हणमान।
23 संतरा पुत्री हणमान।
24 बिमल पुत्री हणमान।
25 पूर्णमल पुत्र हेमाराम।
26 भागीरथमल पुत्र हेमाराम।
27 शिवप्रसाद पुत्र हेमाराम।
28 बिजेन्द्र पुत्र हेमाराम।
29 मूली देवी बेवा हेमाराम समस्त जाति कुमावत निवासीगण पिपराली तहसील व जिला सीकर।
30 उपपंजीयक, सीकर तहसील व जिला सीकर।
31 तहसीलदार सीकर जिला सीकर।
32 पटवारी हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 26.05.16
बउनवानी त्रिवेणी बनाम बाबुलाल आदि
मुकदमा नं0 323/2014 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी सीकर द्वारा केम्प कोर्ट पिपराली में
पारित डिक्री की अपील।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अपील संख्या 149/2016

1 बाबूलाल पुत्र कानाराम आयु 58 साल जाति कुमावत निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 त्रिवेणी देवी पत्नी स्व0 रूपाराम।
2 संतोष पुत्री स्व0 रूपाराम।
3 सुरेश कुमार पुत्र श्योप्रसाद।
4 शारदा देवी पत्नी श्योप्रसाद।
5 माया पुत्री श्योप्रसाद।
6 महेश कुमार पुत्र लिछमण।
7 लालचन्द पुत्र लिछमण।
8 सोहनी पुत्री लिछमण।
9 सलोचना पुत्री लिछमण।
10 कांता पुत्री लिछमण।
11 ग्यारसी देवी पत्नी लिछमण।
12 शिवलाल दतक पुत्र नारायण।
13 चन्द्रशेखर पुत्र छोटूराम
14 मंगलचन्द पुत्र छोटूराम।
15 महादेव प्रसाद पुत्र छोटूराम।
16 भगवान सहाय पुत्र भींवा।
17 भोलू पुत्र भींवा।
18 सीताराम पुत्र भींवा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

19 भंवरलाल पुत्र हणमान।
20 प्रदीप कुमार पुत्र हणमान।
21 रमेश कुमार पुत्र हणमान।
22 पवन कुमार पुत्र हणमान।
23 संतरा पुत्री हणमान।
24 बिमल पुत्री हणमान।
25 पूर्णमल पुत्र हेमाराम।
26 भागीरथमल पुत्र हेमाराम।
27 शिवप्रसाद पुत्र हेमाराम।
28 बिजेन्द्र पुत्र हेमाराम।
29 मूली देवी बेवा हेमाराम समस्त जाति कुमावत निवासीगण पिपराली तहसील व जिला सीकर।
30 उपपंजीयक, सीकर तहसील व जिला सीकर।
31 तहसीलदार सीकर जिला सीकर।
32 पटवारी हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 09.06.16
बउनवानी त्रिवेणी बनाम बाबुलाल आदि
मुकदमा नं0 323/2014 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी सीकर द्वारा केम्प कोर्ट दौलतपुरा में
पारित डिक्री की अपील।

उपस्थित

1. श्री दीनानाथ शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वर लाल बिजारणियां अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री मामचन्द मूण्ड अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

–निर्णय–

दिनांकः–14.09.18

यह दोनों अपीले विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा वाद संख्या 323/2014 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.05.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09.06.2016 के विरूद्व पृथक पृथक प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। दोनों पत्रावलियों में निर्णय की प्रति अलग अलग रखी जाये।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में बटवारे का वाद बाबत भूमि खसरा नम्बर 444,445 446,365,476 ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.05.2016 को विचाराधीन निर्णय बाबत प्राथमिक डिक्री पारित किया जिससे व्यथित होकर अपील संख्या 148/2016 धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री के कम में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचाराधीन निर्णय दिनांक 09.06.2016 द्वारा अंतिम डिक्री पारित की गई। जिससे व्यथित होकर अपील संख्या 149/2016 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट को विचारण न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 02.08.2016 को होने पर जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर दी है। न्यायाहित में दोनो अपीलों में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर मियाद का फायदा दिया जायें। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पिपराली कैम्प में एकपक्षीय रूप से प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विभाजन प्रस्ताव भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अपीलांट की गैर मौजुदगी में तैयार किये गये है। बंटवारा प्रस्ताव में 0.22 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट को मनमर्जी से अधिक दी गई है विचारण न्यायालय ने इन सब तथ्यों पर विचार नही कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है अत अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री खारिज की जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय ने बंटवारे की प्राथमिक डिक्री राजस्व रिकार्ड के मुताबित बाई मिटस एण्ड बाउन्टस बटवारा किये जाने हेतु पारित की है एवं तहसीलदार को विधिवत बंटवारा कर प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश भिजवाने के आदेश दिये है तहसीलदार ने मौके एवं रिकार्ड के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये है। जिस पर अन्य सहखातेदारों ने सहमती व्यक्त की है। विचारण न्यायालय में किसी भी पक्षकार ने आपत्ति प्रस्तुत नही की है अपील अपीलांट मियाद बाहर है दोनों अपीले सारहीन है विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एक अन्य वाद में अपीलांट को अधिक भूमि दी गई है जो पारिवारिक समझौते के तहत दी गई है। वर वक्त बहस उसकी प्रति अधिवक्ता ने अवलोकनार्थ पेश कर दोनों अपीले खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायाहित में अपीलांट द्वारा दोनों अपीलों में प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत होने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड के मुताबिक विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है एवं तहसीलदार को बाई मिटस एण्ड बाउन्टस विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है फलस्वरूप प्राथमिक डिक्री की अपील संख्या 148/2016 खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अन्तिम डिक्री की अपील के सन्दर्भ में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सीकर द्वारा विवादित भूमि के विभाजन प्रस्ताव त्रिवेणी देवी, शारदा देवी, ग्यारसी देवी के अंगुठा निशानी एवं लालचन्द, महेश, शिवपाल, रामरतन, चन्द्रशेखर, हरफुल की उपस्थिति में तैयार कर मौके अनुसार रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसके विरूद्व किसी भी पक्षकार ने विचारण न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित की गई है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। जहां तक रकबे की कमी बेसी का प्रश्न है वकील रेस्पोडेंट द्वारा वर वक्त बहस पेश दस्तावेज की फोटो प्रति के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट को रेस्पोडेंट त्रिवेणी द्वारा अन्य सहखातेदारी की भूमि में रकबा अधिक दिया जा चुका है अत विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले गुणागुण पर सारहीन पाई जाती है फलस्वरूप दोनों अपीले खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

Love 14/9/18

(करतार सिंह पूनिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर